



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2014/फाल्गुन 13, 1935

No. 103]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2014/PHALGUNA 13, 1935

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

सा.का.नि. 141(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 21 की उप-धारा (4) और धारा 21ख की उप-धारा (2) और उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 29क की उप-धारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वे-गण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वे-गण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वे-गण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 17 के उप-नियम (1) में “एक हजार रुपये” शब्दों के स्थान पर “पांच हजार रुपये” शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 1/12/2007-आईजीसी/पीआई]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 112 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 226 (अ), तारीख 22 मार्च, 2011 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th March, 2014

G.S.R. 141(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (c) and (d) of sub-section (2) of Section 29A, read with sub-section (4) of Section 21 and sub-sections (2) and (4) of Section 21B of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Chartered Accountants (Procedures of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, namely:—

1. (1) These rules may be called the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Chartered Accountants (Procedures of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, in rule 17, in sub-rule (1), for the words “one thousand rupees”, the words “five thousand rupees” shall be substituted.

[F.No. 1/12/2007-IGC/PI]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 112 (E), dated the 27th February, 2007 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 226(E), dated the 22nd March, 2011.